

आदेश

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूल दावा का निस्तारण होने तक ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 5, 178 में मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें । अनावेदक संख्या 5, 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम बाबत् स्थगन खारिज किया जाता है।

राम सिंह राजावत
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।



राम सिंह राजावत
(राम सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

